



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उ०प्र०

(पूर्ववर्ती: इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय)

**Prof. Rajendra Singh (Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, U.P.**

(Formerly: Allahabad State University)


पत्रांक: प्रो०रा०सि०वि०वि० / प०नि०का० / 36 / 2021

दिनांक 04 फरवरी, 2021

## कार्यालय-ज्ञाप

दिनांक 12.01.2021 को परीक्षा समिति की आहूत बैठक के बिन्दु 33 के परिपेक्ष्य में लिये गये निर्णय के क्रम में परीक्षा समिति ने अपर मुख्या सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय, उ०प्र० द्वारा निर्गत पत्र संख्या ई-7443/03-जी०एस०/2019(TC) दिनांक: 26.11.2020 द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) हेतु प्रस्तावित अध्यादेश को इस विश्वविद्यालय में यथावत लागू किये जाने की सहमति प्रदान की है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। समस्त सम्बन्धित महाविद्यालयों से अनुरोध है कि वे इससे अवगत होते हुये अपने अपने महाविद्यालयों में समस्त छात्र/छात्राओं को उक्त के अनुसार चुनौती मूल्यांकन हेतु अवगत कराने का कष्ट करें। पूर्व से प्रचलित चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था तदनुसार संसोधित समझी जाये।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

  
04/02/2021  
डॉ० (कुलदीप सिंह)  
परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्राचार्य/प्राचार्या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
2. अपर मुख्य सचिव महोदय, राज्यपाल सचिवालय उ०प्र० के पत्र के अनुपालन में अवलोकनार्थ।
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ।
4. वैय० सहायक कुलपति को, मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
5. वैय० सहायक कुलसचिव/ वित्त अधिकारी।
6. प्रभारी एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप एवं संलग्न सूची को सम्बन्धित महाविद्यालयों की कालेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अपने प्रोग्राम में भी चुनौती मूल्यांकन हेतु लागू इस व्यवस्था के अनुरूप संसोधन करें।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, प्रो०रा०सि०वि०वि०, प्रयागराज को इस आशय के साथ कि छात्रहित में उक्त ज्ञाप को दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

  
डॉ० (कुलदीप सिंह)  
परीक्षा नियंत्रक

पता: सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज-211001 (उ०प्र०), फोन:

0532-2256206

Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Prayagraj-211001 (U.P.) Ph. 0532-2256206

चुनौती मूल्यांकन  
(Challenge Evaluation)

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) दो चरणों में होगा—

1. मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) देखने की सुविधा
2. मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा

आवेदन अवधि —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 30 (तीस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के प्रथम चरण लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 300/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में —

1. आवेदन के उपरान्त परीक्षार्थी को मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका की संचरित प्रति (scanned copy) अवलोकन हेतु ऑनलाइन उपलब्ध करवायी जा सकती है।
2. परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन अवधि —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 (पैंतालिस) दिन के अन्दर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क —

चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के दूसरे चरण के लिए सभी पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी को आवेदन शुल्क रु0 2500/- प्रति प्रश्नपत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

चुनौती मूल्यांकन की प्रक्रिया —

1. प्रत्येक प्रश्न पत्र के चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के हेतु कम से कम 4 (चार) विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों की एक नामावली (panel) संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति को प्रस्तुत की जाए।
2. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए प्रस्तुत उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन उपर्युक्त नामावली में से नामित किन्हीं दो विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों द्वारा करवाया जाए।
3. विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक को नामित करने का कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाए।
4. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के लिए उत्तर पुस्तिका को विषय विशेषज्ञ/ परीक्षक के सम्मुख उपस्थित करने से पहले मूल परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक/अंकों का विवरण छिपा दिया जाए।

5. संबंधित उत्तर पुस्तिका की दो छाया प्रतियां तैयार करवायी जाएं और उन्हें नामित विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

**चुनौती मूल्यांकन के प्राप्तांक के संबंध में-**

1. दोनों विषय विशेषज्ञों/ परीक्षकों द्वारा प्रदत्त प्राप्तांकों का औसत निकाला जाए।
2. यह औसत अन्तिम रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में देय होगा, चाहे वह मूल प्राप्तांकों से कम हों अथवा अधिक।
3. यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अन्तर होता है तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क रू0 2500/- में से रू0 1000/- की धनराशि काटकर शेष परीक्षार्थी को वापस कर दी जाए।

**मूल्यांकन में लापरवाही बरतने पर मूल परीक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने के संबंध में-**

1. चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) में प्राप्तांक अंकों में 20% से अधिक बदलाव होने की स्थिति में प्राथमिक स्तर पर मूल परीक्षक को नोटिस भेजी जाए।
2. यदि ऐसे परीक्षक के 3(तीन) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक के, संबंधित प्रश्न पत्र के मूल्यांकन का पूरा पारिश्रमिक रोक दिया जाए। यदि ऐसे परीक्षक के 5(पांच) से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उस परीक्षक को कम से कम दो वर्ष की अवधि हेतु परीक्षा संबंधी कार्यों से विवर्जित (debarred) रखा जाए और यदि 10 से अधिक प्रकरण एक ही प्रश्न पत्र में उसी परीक्षा में आते हैं तब उपर्युक्त के साथ-साथ उस परीक्षक की निजी विवरण पुस्तिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी जाए।